192

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी

पत्र सं0–एस.टी./एफ.एस./आई–3(बी)/2013 दिनांक–..11..-..12..-..2013

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी

विषय–आवेदक श्री रामचन्द्र पटेल पुत्र श्री लल्लू राम, अजय कुमार सिंह वगैरह द्वारा आराजी सं0 241, 242, 243 व 244 मौजा रामनगर, वाराणसी पर प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्निशमन शुरक्षा की दृष्टि से आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका मत्रांक– 34/13 ग्रु0हा0/वि0प्रा0/विन्यास/2012–13 दिनांक– 26.11.2013

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त सम्बन्ध में प्रस्तावित स्थल आराजी संख्या– 241, 242, 243 व 244 मौजा रामनगर, वाराणसी पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर श्री उमाकान्त सिंह द्वारा करवाया गया तो उनकी आख्या अनुसार स्थल उपयुक्त पाया गया। अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित किया जाता है।

1. भवन का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 व एन0बी0सी0–2005 तथा उत्तर प्रदेश भवन निर्माण व विकास उपतिथि–2008 में प्रस्तावित प्राविधानों एवं निर्देशों का पालन भवन स्वामी/सोसायटी द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
2. भवन में ढांचागत सुरक्षा एवं निर्माण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक विल्डर्स की स्वयं की होगी।
3. भवन के प्रत्येक तल पर प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था आई0एस0मानक–2190::1992 के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा।
4. भवन के प्रत्येक तल पर होजरील की व्यवस्था मानक के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
5. भवन में वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा तथा भवन के प्रत्येक तल पर लैण्डिंग वाल्व स्थापित कर लैण्डिंग वाल्व के पास होज बाक्स में दो–दो अदद होज पाईप व एक साधाराण ब्रान्च पाईप रखा जाना आवश्यक होगा।
6. भवन के टेरेस पर 25000/– (पचीस हजार) लीटर क्षमता टेरेस टैंक प्रत्येक ब्लाक पर बनाया जाना आवश्यक होगा तथा 900/– एल0पी0एम0 क्षमता का टेरेस पम्प स्थापित किया जाना आवश्यक होगा तथा लैण्डिंग वाल्व का संबंध डाउनकमर सिस्टम के माध्यम से टेरेस टैंक से किया जाना आवश्यक होगा।

28/7/14

Scanned with CamScanner

193

7. भवन/परिसर के चारो तरफ रिंगमेन बनाकर फायर हाईड्रेण्ट की व्यवस्था प्रत्येक 30 मीटर पर किया जाना आवश्यक होगा तथा हाईड्रेण्ट के पास पिट बाक्स में दो–दो होज पाईप व एक साधारण ब्रान्च पाईप रखा जाना आवश्यक होगा तथा मेन गेट पर फायर सर्विस इनलेट की व्यवस्था भी किया जाना आवश्यक होगा।
8. सम्पूर्ण अग्निशमन व्यवस्था को ऊर्जा के वैकल्पिक श्रोत से जोड़ा जाय।
9. भवन के प्रत्येक तल पर निकास मार्ग हेतु संकेतकयुक्त चिन्ह की व्यवस्था रिफ्लेक्टर प्रिन्ट द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
10. प्रत्येक तल पर आटोमेटिक/मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।
11. भवन में फायरमैन स्वीच युक्त लिफ्ट की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।
12. भवन में स्थापित उपकरणों/सिस्टम के अनुरक्षण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
13. मानचित्र में प्रदर्शित सेट बैक को नियमानुसार निर्मित किया जाय एवं हरवक्त अवरोध रहित रखा जाय।
14. आवेदक द्वारा अनुमोदित मानचित्र में किसी तरह का बदलाव करने पर अग्निशमन विभाग को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा अधिवासित होने से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वामी/बिल्डर्स की होगी। उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है।

11/12/13

(सुभाष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
वाराणसी

**प्रतिलिपि** – आवेदक श्री रामचन्द्र पटेल पुत्र श्री लल्लू राम, अजय कुमार सिंह वगैरह द्वारा आराजी सं0 241, 242, 243 व 244 मौजा रामनगर, वाराणसी पर प्रस्तावित भवन निर्माण के संबंध में सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with CamScanner

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
## प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
## वाराणसी

पत्रांक 1708 / 19mg दिनांक 22/7/14

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषय :– आराजी नं0–241, 242, 243 एवं 244 मौजा–रामनगर, परगना–रामनगर, वाराणसी पर प्रस्तावित मानचित्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– आपका पत्रांक–34 / 13 / / वि0प्र0 / विन्यास / 2014–15 दिनांक 16.06.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में निम्न शर्तों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. आवेदक फर्म का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित विवरण स्थल रामनगर चौक से पंचवटी मार्ग को जाने वाली सड़क के किमी0–1 के चैनेज–0.600 किमी0 पर स्थित आराजी नं0–241, 242, 243 एवं 244 मौजा–रामनगर, परगना–रामनगर, वाराणसी के पास उक्त मार्ग की चौड़ाई 20 मी0 है जो कि मध्य से एक तरफ 10–10 मी0 है।
2. निर्माणकर्ता द्वारा कोई भी विभागीय नाली नहीं बन्द की जायेगी तथा सरकारी भूमि में पानी के बहाव (पटरी सहित) में रूकावट नही किया जाना होगा।
3. निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तावित मानचित्र एवं मार्ग के मध्य से 10मी0 के बीच किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करना होगा।
4. निर्माणकर्ता द्वारा सरकारी भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
5. उपरोक्त शर्तो को पूरा न करने पर दिया गया अनापत्ति–प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं अवैध निर्माण को गिराने की पूर्ण जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की स्वयं की होगी।

22/7

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
वाराणसी

JE 22/7/14

Scanned with CamScanner

195.

# कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
# नगरीय विद्युत वितरण मण्डल–प्रथम
# पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.
# वाराणसी

पत्रांक 74 न.वि.वि.मं.प्र.(वा)/अनापत्ति दिनांक 6/11/2014

विषय :– आराजी-संख्या 241, 242, 243, 244 समनगर वाराणसी के प्रस्तावित मानचित्र के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता(भवन),
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 34/13 वि.प्रा./विन्यास 2012–13 दिनांक 26/11/2013 को सन्दर्भित ग्रहण करने का कष्ट करें।

सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 8222 न.वि.वि.ख.(च) दिनांक 06/01/2014 के परिप्रेक्ष्य इस आराजी के मानचित्रक स्वीकृत करने हेतु अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निजी विल्डर्स एवं प्रमोटर्स द्वारा विकसित किये जाने वाले आवासीय/अनआवासीय एकतलीय/बहुतलीय भवन कम्प्लेक्सों में मुख्य प्रवेश द्वार/बाउन्ड्रीवाल के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वतंत्र प्रवेश द्वार के साथ 10×12 फीट का मीटर रूप बिल्डर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें प्रवेश मुख्य सड़क पर ही खुलने वाले दरवाजे से स्वतंत्र रूप से किया जा सके।

3
29-7-14

(पी.पी. सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता
नगरीय विद्युत वितरण मण्डल-प्रथम
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि
भिखारीपुर-वाराणसी

Scanned with
CamScanner

# कार्यालय, नगरपालिका–परिषद, रामनगर, वाराणसी।

प्रेषक,

अधिशासी अधिकारी,
न0पा0परि0रामनगर,
वाराणसी।

सेवा में,

सहायक अभियन्ता (भवन),
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

सं0 582 /नक्शा/14 दिनांक : जनवरी 22 2014

विषय :– आराजी सं0 241, 242, 243 व 244 मौजा–रामनगर, परगना–रामनगर पर दाखिल किये गये मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एम0 34/13 ग्रु0हा0/नक्शा/वि0प्रा0/भवन/2013–14 दिनांक 26.11.2013 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रेषित भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध अनापत्ति चाही गयी है।

आराजी सं0 241, 242, 243, व 244 पर प्रस्तावित भवन मानचित्र के सम्बन्ध में जॉच करायी गयी। प्रश्नगत आराजी/भूखण्ड नगरपालिका परिषद, रामनगर, वाराणसी की नही है। प्रश्नगत भवन मानचित्र को स्वीकृत किये जाने में इस पालिका परिषद को कोई आपत्ति नही है।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी,
न0पा0परि0रामनगर,
वाराणसी।

Scanned with CamScanner